

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

—: आदेश :—

श्री महेन्द्र गिरि, कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद को दिनांक-16.07.18 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री गिरि के प्रथम योगदान की तिथि दिनांक-27.06.79 से सेवा गणना कर विभागीय आदेश सं०-189 दिनांक-24.01.06 के क्रमांक-18 द्वारा पूर्व प्रदत्त द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि दिनांक-26.06.03 को संशोधित करते हुए 27.06.03 किया जाता है।

2. विभागीय आदेश सं०-2020 दिनांक-03.07.17 के क्रमांक-02 द्वारा श्री गिरि को प्रदत्त तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि दिनांक-26.06.09 को संशोधित करते हुए 27.06.09 किया जाता है।

3. पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हें प्रदान किया गया हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली एक मुस्त कर ली जाएगी।

4. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3314 राँची, दिनांक :- 03/10/18
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/10/18
सरकार के अवर सचिव।